पत्रांक–मु0अ0–4(मु0) नाबार्ड–03–252/2018– 5814

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

पटना, दिनांकः–14.12.2018

विषयः– पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड के तेतरिया और मेहसी के बीच बूढ़ी गंडक नदी के सेमरा घाट पर 12X24.75 मी0 आकार के पुल निर्माण योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 4596.00 लाख (पैतालीस करोड़ छियानवें लाख) रू0 है, की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

1. उत्तर बिहार के पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड के तेतरिया और मेहसी के बीच बूढ़ी गंडक नदी के सेमरा घाट पर 12X24.75 मी0 आकार के पुल निर्माण की आवश्यकता महसूस की गयी है, जिसकी कुल अनुमानित लम्बाई 304.32 मी0 है। इस परियोजना से बूढ़ी गंडक नदी को पार करने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा तथा यातायात सुगम होगा।
2. प्रस्तावित उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल के प्राक्कलन पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 4596.00 लाख रू0 का तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
3. प्रस्तावित उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
4. योजना का कियान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा। योजना के कियान्वयन के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम विस्तृत कार्य योजना उपलब्ध करायेगा और उसके अनुरूप कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने की कार्रवाई करेगा, जिसकी समीक्षा समय–समय पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा की जायेगी।
5. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड– 37–4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्याः–मु0अ0–4(मु0) नाबार्ड–03–252/2018 के पृ0–28/प0 पर प्राप्त है।
7. प्रस्तावित योजना के लिए सतत् लीज के तहत भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 12.00 करोड़ का प्रावधान प्राक्कलन में सम्मिलित है।
8. पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड के तेतरिया और मेहसी के बीच बूढ़ी गंडक नदी के सेमरा घाट पर 12X24.75 मी0 आकार के पुल निर्माण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 4596.00 लाख (पैतालीस करोड़ छियानवें लाख) रू0 है, की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–13.12.2018 की बैठक में मद सं0–13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14.12.18

(विनय कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0) नाबार्ड–03–252/2018 5814 /पटना, दिनांकः– 14/12/18

प्रतिलिपिः– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/18
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0) नाबार्ड–03–252/2018 5814 /पटना, दिनांकः– 14/12/18

प्रतिलिपिः– महालेखकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/18
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0) नाबार्ड–03–252/2018 5814 /पटना, दिनांकः– 14/12/18

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

14/12/18
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0) नाबार्ड–03–252/2018 5814 /पटना, दिनांकः– 14/12/18

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/18
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0) नाबार्ड–03–252/2018 5814 /पटना, दिनांकः– 14/12/18

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/18
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0) नाबार्ड–03–252/2018 5814 /पटना, दिनांकः– 14/12/18

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

14/12/18
सरकार के सचिव